

न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

{पीठासीन अधिकारी-डी.एस.मण्डलोई}

व्यवहार वाद क.-23ए/2014

संस्थापन दिनांक-24.4.2013

1. बिसनलाल उम्र 58 वर्ष पिता स्व. केहरसिंह जाति ओझा साकिन बोदा(गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. श्रीमती भागोबाई उम्र 65 वर्ष पति स्व. भोलाराम जाति ओझा साकिन परसाटोला तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. श्रीमती भगोनाबाई उम्र 60 वर्ष पति स्व. चरणसिंह जाति ओझा साकिन अगनतरा तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. श्रीमती संपतियाबाई उम्र 32 वर्ष पति मेहतर जाति ओझा साकिन बोदा(गढ़ी) तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. श्रीमती हुलसियाबाई उम्र 58 वर्ष पति स्व. भगवानसिंह जाति ओझा साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)
6. चैतराम उम्र 38 वर्ष पिता स्व. भगवानसिंह जाति ओझा साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)
7. हंसराम उम्र 35 वर्ष पिता स्व. भगवानसिंह जाति ओझा साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)
8. श्रीमती सहबतियाबाई उम्र 30 वर्ष पति संतोष जाति ओझा साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)
9. राजकुमार उम्र 29 वर्ष पिता स्व. भगवानसिंह जाति ओझा, साकिन भीमडोंगरी तहसील बिछिया जिला मंडला (म.प्र.)

.....वादीगण

-:: ब ना म ::-

1. श्रीमती गोंडिनबाई उम्र 60 वर्ष पति स्व. रतनसिंह जाति अहीर साकिन राम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सोमलाल उम्र 35 वर्ष पिता स्व. रतनसिंह जाति अहीर साकिन राम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. मोहनलाल उम्र 30 वर्ष पिता स्व. रतनसिंह जाति अहीर साकिन राम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. श्रीमती बैसाखिनबाई उम्र 65 वर्ष पति स्व. बुद्धसिंह जाति अहीर साकिन राम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. बलदेव उम्र 30 वर्ष पिता स्व. बुद्धसिंह जाति अहीर साकिन राम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. देवनसिंह उम्र 40 वर्ष पिता स्व. बुद्धसिंह जाति अहीर साकिन राम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
7. रमेश उम्र 35 वर्ष पिता झामसिंह जाति अहीर साकिन राम्हेपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
8. म.प्र. राज्य तर्फे कलेक्टर जिला बालाघाट (म.प्र.) प्रतिवादीगण

1. वादी की ओर से श्री दीपक पंचभावे अधिवक्ता।
2. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 7 द्वारा श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता।
3. प्रतिवादी क्रमांक 8 एकपक्षीय।

-:: नि र्ण य ::-

(आज दिनांक-30/01/2015 को घोषित)

(01)- वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह दावा वास्ते मौजा रामहेपुर प.ह.नं. 52 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर स्थित खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि पर हक की घोषणा एवं संशोधन पंजी दिनांक 25.1.1961 एवं संशोधन पंजी दिनांक 08.3.1958 तथा विक्रयपत्र दिनांक 08.2.1958 को प्रभाव शून्य घोषित किये जाने तथा भूमि का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(02)- वादीगण के दादा केहरसिंह द्वारा वादीगण के कब्जे मालिकी की भूमि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ मौजा रामहेपुर प.ह.नं. 52 को ब्रिटिश शासनकाल में प्राप्त किया था और उन्हें 1955 में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुका था। केहरसिंह बीमार होने एवं अस्पतालों की कमी होने से वह अपने ग्राम जामुनपानी चिलपी(वर्तमान में जिला कवर्धा) इलाज कराने गया और वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र. 1 के पति एवं क्र. 2, 3 के पिता रतनसिंह काके अधिया बंटार्ड में अपने जीवनकाल में दिया करता था और समय-समय पर आकर अपनी भूमि की फसल लेकर जाता था। प्रतिवादीगण के पूर्वज फन्दी पिता असरू, केहरसिंह के समय से भूमि कमाकर फसल देता था इसलिए वादीगण ने फन्दी तथा फन्दी के फौत होने पर उसके पुत्रों को भूमि अधिया बंटार्ड में दी और फसल प्राप्त करते रहे। वादीगण जब वर्ष 2010 में एक जगह एकत्र हुए तो फैसला किया कि अब परिवार बड़ा हो गया है वे अपने पिता की भूमि खुद काश्त करेंगे, यह सोचकर जब भूमि पर काश्त करने मौके पर प्रतिवादीगण से कहा कि तुम लोग हमारे हक, कब्जे वाली भूमि पर क्यों मकान बना लिये हो तो प्रतिवादीगण कहने लगे कि यह भूमि हमारे नाम है, हम इसके मालिक हैं। वादीगण पटवारी के पास गये तो खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ में से 6.40 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हो गया है और खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया है। वादीगण अपने पिता और आज्ञा केहरसिंह के नाम के पुराने दस्तावेज प्राप्त कर पाया कि 1954-55 में तालन के नाम भूमि

दर्ज है खसरा नं. 51 को दो भागों में बांटना और खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि फन्दी के नाम पर खरीदने के कारण दर्ज हुई है। केहरसिंह पिता तालन ने फन्दी को रकबा 6.40 एकड़ भूमि बिक्री करने के बाद भी शेष 8.00 एकड़ भूमि केहरसिंह के नाम पर शेष बचना था किंतु केहरसिंह का नाम अधिकार अभिलेख से काट दिया गया और केहरसिंह का नाम किसी अधिकारी के आदेश से काटा गया इस बात का उल्लेख अधिकार अभिलेख की पंजी में नहीं है। केहरसिंह का नाम मात्र अधिकार अभिलेख के कॉलम क्र. 4 में दर्ज था, फन्दी का नाम अधिकार अभिलेख के कॉलम क्र. 4 में केहरसिंह के नाम को काटकर किस आधार पर दर्ज किया, उसका कोई उल्लेख नहीं है। केहरसिंह ने शेष भूमि बेचा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में फरोख्तनामा दिनांक 08.2.1958 विधिविरुद्ध होने से फरोख्तनामा के आधार पर किया संशोधन पंजी दिनांक 25.1.1961, 08.3.1958 को प्रभाव शून्य घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः विवादित भूमि पर वादीगण का हक-अधिकार होने तथा फर्जी तौर पर किया गया फरोख्तनामा दिनांक 08.2.1958 तथा संशोधन पंजी दिनांक 25.1.1961, 08.3.1958 विधिविरुद्ध होने से प्रभावशून्य घोषित किये जाने का निवेदन किया।

(03)- प्रतिवादी क्र. 1 से 2 ने वादोत्तर प्रस्तुत कर खंडन में अभिवचन किये हैं कि वादीगण के पूर्वज केहरसिंह, बोधनसिंह वल्द तालन दर्ज ग्राम राम्हेपुर प.ह.नं. 52 तहसील बैहर जिला बालाघाट में खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ भूमि थी। केहरसिंह, बोधनसिंह जामुनपानी जाने से तथा रूपयों की आवश्यकता होने से खसरा नं. 51 रकबा 14.40 में से 6.40 फंदी व. छतरन तथा 8.00 एकड़ बजारी व. कोदू को दिनांक 08.2.1958 को पंजीकृत विक्रयपत्र से बिक्री कर दिया। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का 50 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्व प्रलेखों प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण तथा उनके पूर्वजों द्वारा दिनांक 08.2.1958 को विक्रय तथा कब्जा देने के बाद प्रथम बार दिनांक 06.12.2010 को धारा 170(ख) म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत अनुविभागीय अधिकारी, बैहर के न्यायालय में रा.प्र.क्र. 2अ-23 वर्ष 2010-11, बिसनलाल व अन्य बनाम रतनसिंह व अन्य पेश किया था, जिसे न्यायालय द्वारा 31.3.2011 को निरस्त कर दिया गया। वादीगण द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय में रा.प्र.क्र. 91अ/23 वर्ष 2010-11, बिसनलाल बनाम रतनसिंह व अन्य पेश किया, जिसे भी न्यायालय द्वारा दिनांक 26.9.2012 को निरस्त कर दिया। वादीगण द्वारा पंजीयन दिनांक 08.2.1958 तथा न्यायालय के आदेश/निर्णय के बाद दिनांक 09.4.2013 को वाद पेश किया है जो समयावधि बाह्य होने

से, उचित न्यायशुल्क चरपा न करने तथा पक्षकारों के कुसंयोजन से निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा दिनांक 08.2.1958 को वादीगण के पूर्वजों से भूमि का पंजीयन किया है तथा म.प्र. भू राजस्व संहिता म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 21.9.1959 को अधिसूचना प्रकाशित की थी। जिससे आधार पर संहिता 2 अक्टूबर 1959 से प्रभावशील कर दिया है तथा धारा 165 म.प्र. भू राजस्व संहिता के उपबंध भूतलक्षी नहीं है। अतः वादी का वाद निरस्त कर 2000/— क्षति राशि दिलाई जावे।

(04)— प्रतिवादी क्रमांक 8 को विधि के आलोक में पक्षकार बनाया गया है उससे किसी प्रकार का कोई अनुतोष वांछित नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 8 बिना प्रतिरक्षा के प्रस्तुत किए पूर्व से अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण प्रतिवादी क्रमांक 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

(05)— उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किये गये, जिनके समक्ष विधि एवं साक्ष्य की विवेचना के अनुसार न्यायालय द्वारा निष्कर्ष उल्लेखित है :—

क्र.	वाद—प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा रामहेपुर प.ह.नं. 52 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर ख.नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि वादीगण की पैत्रक भूमि होने से उस पर वादीगण को स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विवादित भूमि का विक्रयपत्र दिनांक 8.2.1958 वादीगण शून्य घोषित कराने के हकदार है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादीगण विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क्र. 1 से 7 से पाने के हकदार है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वाद समयावधि बाह्य है ?	प्रमाणित
5	सहायता एवं वाद व्यय ?	पैरा 24 अनुसार
6	क्या वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है ?	प्रमाणित

—:: सकारण निष्कर्ष :—

विचारणीय बिंदू क. 1, 2, 3 :—

(06)– वादी साक्षी भगोनाबाई (वा.सा. 1) के अभिवचन है कि वादीगण के पूर्वज बोधनसिंह अपने बड़े भाई केहरसिंह के पूर्व ही ला-औलाद फौत हो चुका है। केहरसिंह द्वारा वादीगण की भूमि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ मौजा राम्हेपुर प.ह.नं. 52 को ब्रिटिश काल में प्राप्त किया और उन्हें 1955 में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुका था। केहरसिंह बीमार होने से अपने ग्राम जामुनपानी चिलपी इलाज कराने गया और वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र. 1 के पति एवं क्र. 2, 3 के पिता रतनसिंह को अधिया बंटाई में दिया करता था और समय-समय पर आकर अपनी भूमि की फसल लेकर जाता था। प्रतिवादीगण के पूर्वज फन्दी पिता असरू, केहरसिंह के समय से भूमि कमाकर फसल देता था इसलिए वादीगण ने फन्दी तथा फन्दी के फौत होने पर उसके पुत्रों को भूमि अधिया बंटाई में दी और फसल प्राप्त करते रहे। वर्ष 2010 में वादीगण ने फैसला किया कि अब परिवार बड़ा हो गया है वे अपने पिता की भूमि खुद काश्त करेंगे। प्रतिवादीगण से कहा कि तुमने हमारे हक, कब्जे वाली भूमि पर क्यों मकान बनाये हो तो प्रतिवादीगण कहे कि यह भूमि हमारे नाम है, हम इसके मालिक हैं। तब वादीगण पटवारी के पास गये तो पाया कि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ में से 6.40 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम वर्तमान राजस्व प्रलेखों में दर्ज हो गया है और खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया है। केहरसिंह का नाम अधिकार अभिलेख से काट दिया गया और केहरसिंह का नाम किसी अधिकारी के आदेश से काटा गया इस बात का उल्लेख अधिकार अभिलेख की पंजी में नहीं है। फरोख्तनामा दिनांक 08.2.1958 विधिविरुद्ध होने से फरोख्तनामा के आधार पर किया संशोधन पंजी दिनांक 25.1.1961 एवं संशोधन पंजी दिनांक 08.3.1958 को प्रभाव शून्य घोषित किया जावे।

(07)– वादी भगोनाबाई के अभिवचना का समर्थन करते हुए साक्षी धरमलाल (वा.सा. 2), चैतराम (वा.सा. 3), धरमसिंह (वा.सा. 4) के भी अभिवचन है कि वादीगण के कब्जे मालिकी की खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ मौजा राम्हेपुर में है। केहरसिंह द्वारा वादीगण की भूमि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ मौजा राम्हेपुर प.ह.नं. 52 को ब्रिटिश काल में प्राप्त किया और उन्हें 1955 में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुका था। केहरसिंह बीमार होने से अपने ग्राम जामुनपानी चिलपी इलाज कराने गया और वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र. 1 के पति एवं क्र. 2, 3 के पिता रतनसिंह को अधिया बंटाई में देता था और

अपनी भूमि की फसल लेता था। वर्ष 2010 में वादीगण ने फैसला किया कि अब परिवार बड़ा हो गया है वे अपने पिता की भूमि खुद काश्त करेंगे। प्रतिवादीगण से कहा कि तुमने हमारे हक, कब्जे वाली भूमि पर क्यों मकान बनाये हो तो प्रतिवादीगण कहे कि यह भूमि हमारे नाम है, हम इसके मालिक हैं। तब वादीगण पटवारी के पास गये तो पाया कि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ में से 6.40 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम वर्तमान राजस्व प्रलेखों में दर्ज हो गया है और खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया है। केहरसिंह का नाम अधिकार अभिलेख से काट दिया किस अधिकारी के आदेश से कटा गया इसका उल्लेख भी नहीं किया गया। फरोख्तनामा दिनांक 08.02.1958 विधि विरुद्ध होने से फरोख्तनामा के आधार पर किया संशोधन पंजी दिनांक 25.01.1961 एवं संशोधन पंजी दिनांक 08.03.1958 को प्रभाव शून्य घोषित किया जावे।

(08)- वादीगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-1, संशोधन पंजी दिनांक 25.1.1961 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-2, संशोधन पंजी दिनांक 08.3.1958 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-3, पांचसाला खसरा फार्म वर्ष 1981-82 से 1984-85 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-4, खसरा फार्म वर्ष 2012-13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 प्रस्तुत किया गया है।

(09) प्रतिवादी साक्षी मोहनलाल (प्र.सा. 1) के खंडन में अभिवचन है कि प्रतिवादी के पूर्वज फन्दी व. छतरू के 3 पुत्र बुधसिंह, रतनलाल व झामसिंह थे जो सभी फौत हो गये हैं। मृतक बुधसिंह की पत्नी बैशाखिनबाई प्रतिवादी क्र. 4 से उत्पन्न संतान बलदेव, सुखदेव व देवनबाई हैं। मृतक रतनलाल से संतान सोमलाल, मोहन, सनमत, सारिया, रामबतीबाई, फुलबतीबाई(फौत) हैं। फुलबतीबाई व सालिकराम से संतान झगनु, बिरसिंग, परमा, दशरया व गोकुल हैं तथा मृतक रतनलाल की जीवित पत्नि चमरिनबाई प्रतिवादी क्र. 1 है तथा मृतक झामसिंह की पत्नी बजरार्नबाई तथा उसकी संतान रमेश है। मुल पुरुष फंदी व. छतरू द्वारा मौजा राम्हेपुर स्थित भूमि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ में से रकबा 6.40 एकड़ मौजा राम्हेपुर निवासी केहरसिंह व बोधनसिंह पिता तालनसिंह के पास से दिनांक 08.2.1958 को क्रय कर मावजाने की राशि अदा कर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तहरीर करने के बाद हक प्राप्त किया तथा फंदीलाल द्वारा एवं उसकी मृत्यु बाद रतनलाल, बुधसिंह व झामसिंह का नाम बतौर वारसान फौती दाखला दर्ज होने बाद काश्त करते रहे। विक्रेता केहरसिंह व बोधसिंह पिता तालनसिंह के नाम मौजा राम्हेपुर में भूमि रकबा 14.40 एकड़ में

से रकबा 8.00 एकड़ भूमि बजारी व. कोदु को दिनांक 08.2.1958 को मावजाने की राशि अदा कर रजिस्ट्री बाद बजारी व. कोदु का नाम संशोधन से दर्ज हुआ। केहरसिंह व बोधनसिंह भूमि विक्रय कर राशि प्राप्त कर कब्जा देकर जामुनपानी जिला कवर्धा में निवास करने लगे, जो वापस राम्हेपुर नहीं आए और ना ही उसके वारसानों ने भूमि संबंधी वाद विवाद किया। प्रतिवादीगण का भूमि पर विगत 50 वर्षों से कब्जा एवं राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम चला आ रहा है। वादीगण ने वर्ष 2010 में अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में कुल भूमि 14.40 एकड़ भूमि वापसी संबंधी प्रकरण पेश किया जिसमें खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ एवं खसरा नं. 51/2 रकबा 8.00 एकड़ के राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वामी को पक्षकार बनाया था और उक्त प्रकरण में भूमि खसरा नं. 51/2 रकबा 8.00 एकड़ भूमि के भूमि स्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया गया, जो दिनांक 31.3.2011 को निरस्त कर दिया, जिसकी अपील अपर कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय में पेश की गई जो दिनांक 26.9.2012 को निरस्त कर दी गई। खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि का क्रय विक्रय वर्ष 1958 में ही दिनांक 08 फरवरी को हो गया जो भू.रा.सं. के प्रावधान लागू होने के पूर्व का क्रय विक्रय है, जिस पर भू.रा.सं. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वादीगण का दावा सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

(10)- प्रतिवादी साक्षी मोहनलाल के अभिवचनों का समर्थन करते हुए प्रतिवादी साक्षी तुलसीराम (प्र.सा. 2) के भी अभिवचन है कि मौजा राम्हेपुर के पटेल बिन्नुलाल का पुत्र है। वह फंदीलाल व. छतरू एवं केहरसिंह व बोधनसिंह पिता तालनसिंह को जानता है तथा बजारी व. कोदू को भी जानता है। मौजा राम्हेपुर में केहरसिंह व बोधनसिंह की भूमि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ भूमि सन 1958 में बजारी व. कोदू तथा फंदी व. छतरू को विक्रय की थी। विक्रय बाद केहरसिंह व बोधनसिंह जामुनपानी जाकर बस गए थे एवं कभी भी हमारी भूमि है कहने वापस नहीं आये। वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1958 से प्रतिवादीगण व बजारीसिंह के वारसानों का कब्जा आ रहा है। पूर्व में फंदी व. छतरू एवं उसकी मृत्यु बाद बुधसिंह, रतनलाल व झामसिंह काश्त और वर्तमान में उनके वारसान काश्त करते चले आ रहे हैं जिसका रकबा 6.40 एकड़ है जिसे उसने देखा है। वादीगण के वारसान कभी भी आकर वादग्रस्त भूमि को अपनी भूमि होना नहीं कहे और ना ही भगोनाबाई कभी राम्हेपुर आकर काश्त कब्जा का प्रयास किया है। वादीगण द्वारा इसके पूर्व अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में वर्ष 2010 में प्रकरण पेश किया था जो निरस्त किया जा चुका है।

(11)- प्रतिवादी साक्षी तीरथ (प्र.सा. 3) के भी अभिवचन है कि मौजा रामहेपुर में केहरसिंह व बोधनसिंह की 14.40 एकड़ भूमि 1958 में बजारी व. कोदू तथा फन्दी व. छतरू को विक्रय की गई। रजिस्ट्री बाद केहरसिंह व बोधनसिंह जामुनपनी जाकर बस गए। तब से बजारी व. कोदू रकबा 8.00 एकड़ में तथा फन्दी व. छतरू 6.40 एकड़ कयशुदा भूमि को उनके वारसान विगत 50 वर्षों से आज तक उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर मकान हाता-बाड़ी बनाकर काश्त करते आ रहे हैं, जिसका रकबा 6.40 एकड़ है जिसके बाजु से लगा उसका खेत है, जिसमें प्रतिवादीगण काश्त करते हैं। वादीगण के वारसान और ना ही भगोनाबाई कभी वादग्रस्त भूमि पर काश्त, कब्जा का प्रयास किये है। वादीगण द्वारा इसके पूर्व अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में वर्ष 2010 में प्रकरण पेश किया जो निरस्त किया जा चुका है।

(12)- प्रतिवादी साक्षी बच्चुलाल (प्र.सा. 4) के भी अभिवचन है कि मौजा रामहेपुर में केहरसिंह व बोधनसिंह की 14.40 एकड़ भूमि 1958 में बजारी व. कोदू तथा फन्दी व. छतरू को विक्रय की गई। रजिस्ट्री बाद केहरसिंह व बोधनसिंह जामुनपनी जाकर बस गए। तब से बजारी व. कोदू रकबा 8.00 एकड़ में तथा फन्दी व. छतरू 6.40 एकड़ कयशुदा भूमि को उनके वारसान विगत 50 वर्षों से आज तक उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर मकान हाता-बाड़ी बनाकर काश्त करते आ रहे हैं, जिसका रकबा 6.40 एकड़ है जिसके बाजु से लगा उसका खेत है, जिसमें प्रतिवादीगण काश्त करते हैं। वादीगण के वारसान और ना ही भगोनाबाई कभी वादग्रस्त भूमि पर काश्त, कब्जा का प्रयास किये है। वादीगण द्वारा इसके पूर्व अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में वर्ष 2010 में प्रकरण पेश किया जो निरस्त किया जा चुका है और जिसकी अपील कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय में पेश की जो निरस्त की जा चुकी है।

(13)- प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अनुविभागीय अधिकारी बैहर के राजस्व प्रकरण क. 2/23 वर्ष 2011 में पारित आदेश दिनांक 31.3.2011 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-1, अपर कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क. 91/23 वर्ष 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26.9.2012 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-2, फरोख्तनामा दिनांक 08.8.1958 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-3, फरोख्तनामा दिनांक 08.2.1958 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-4, वादग्रस्त भूमि की भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदर्श डी-5 एवं फोटोकॉपी प्रदर्श डी-5सी, रतनसिंह व. फंदी के नाम की भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदर्श

डी-6 एवं फोटोकॉपी प्रदर्श डी-6सी, बजारी व. कोदू क्रेता एवं विक्रेता केहरसिंह व बोधनसिंह द्वारा फरोखतनामा प्रदर्श डी-7 एवं फोटोकॉपी प्रदर्श डी-7सी, क्रेता फंदीलाल व. छत्रु विक्रेता केहरसिंह व. बोधनसिंह पिता तालनसिंह द्वारा तहरीर फरोखतनामा प्रदर्श डी-8 एवं फोटोकॉपी प्रदर्श डी-8सी प्रस्तुत किया है।

(14)- वादी के अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगण के पूर्वज केहरसिंह द्वारा खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ मौजा राम्हेपुर प.ह.नं. 52 को ब्रिटिश काल में प्राप्त किया और उन्हें 1955 में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुका था। केहरसिंह बीमार होने से ग्राम जामुनपानी इलाज कराने गया और वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को अधिया बंटाई में दिया था और फसल लेकर जाता था। वर्ष 2010 में वादीगण ने फैसला किया कि अब वे अपनी भूमि खुद काशत करेंगे। प्रतिवादीगण से कहा कि तुमने हमारे हक, कब्जे वाली भूमि पर क्यों मकान बनाये हो तो प्रतिवादीगण कहे कि यह भूमि हमारे नाम है, हम इसके मालिक हैं। तब वादीगण पटवारी के पास गये तो पाये कि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ में से 6.40 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम वर्तमान राजस्व प्रलेखों में चला आ रहा है और खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया है। वादीगण पुराने दस्तावेज प्राप्त किए तो पाया कि 1954-55 में तालन के नाम भूमि दर्ज है किंतु खसरा नं. 51 को दो भागों में बांटना और खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि फन्दी के नाम पर खरीदने के कारण दर्ज हुई है। अगर केहरसिंह पिता तालन ने फन्दी को रकबा 6.40 एकड़ भूमि बिक्री कर दी थी तो शेष 8.00 एकड़ भूमि केहरसिंह के नाम पर शेष बचना था किंतु केहरसिंह का नाम अधिकार अभिलेख से काट दिया गया और केहरसिंह का नाम किसी अधिकारी के आदेश से काटा गया इस बात का उल्लेख अधिकार अभिलेख की पंजी में नहीं है और ना ही केहरसिंह का नाम अधिकार अभिलेख की पंजी में अन्य किसी कॉलम में दर्ज है। केहरसिंह का नाम मात्र अधिकार अभिलेख के कॉलम क्र. 4 में दर्ज था, फन्दी का नाम अधिकार अभिलेख के कॉलम क्र. 4 में केहरसिंह के नाम को काटकर किस आधार पर दर्ज किया, उसका कोई उल्लेख नहीं है। अधिकार अभिलेख अनुसार गलती से दो खातों में दर्ज होने से खाता क्र. 4 में शामिल किये जाने के कारण लिखा है जबकि खाता क्र. 4 में मात्र केहरसिंह का नाम है। अधिकार अभिलेख में की गई त्रुटि गंभीर है। प्रतिवादीगण दूसरी जाति के और केहरसिंह के खानदान के नहीं है। केहरसिंह ने फन्दी को यदि भूमि बेची तो खसरा नं. 51/2 में रकबा 8.00 एकड़ भूमि केहरसिंह के नाम पर

अधिकार अभिलेख में रहना था, यदि खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ फन्दी के नाम पर चली गई तो रिकार्ड में कहीं भी केहरसिंह का नाम नहीं है। फन्दी के वारसान के नाम पर केहरसिंह के नाम की भूमि कैसे चली गई है, जबकि केहरसिंह ने शेष भूमि बेचा ही नहीं है। तत्संबंध में वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत "रेखा बनाम श्रीमती रेनाश्री, 2006(1) एम. पी.एल.जे. 103" तथा "2001(1) एम.पी.एल.जे. क्रमांक 102" प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु वादीगण द्वारा उनके समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे उनकी पुष्टि हो सकें। साथ ही प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एवं प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न है।

(15)— प्रतिवादी अधिवक्ता के तर्क है कि मुल पुरुष फन्दी व. छतरू द्वारा मौजा राम्हेपुर स्थित भूमि खसरा नं. 51 रकबा 14.40 एकड़ में से रकबा 6.40 एकड़ मौजा राम्हेपुर निवासी केहरसिंह व बोधनसिंह पिता तालनसिंह के पास से दिनांक 08.2.1958 को क्रय कर मावजाने की राशि अदा कर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तहरीर करने के बाद हक प्राप्त किया तथा फन्दीलाल द्वारा एवं उसकी मृत्यु बाद रतनलाल, बुधसिंह व झामसिंह का नाम बतौर वारसान फौती दाखला दर्ज होने बाद काशत करते रहे। विक्रेता केहरसिंह व बोधसिंह पिता तालनसिंह के नाम मौजा राम्हेपुर में भूमि रकबा 14.40 एकड़ में से रकबा 8.00 एकड़ भूमि बजारी व. कोदु को दिनांक 08.2.1958 को मावजाने की राशि अदा कर रजिस्ट्री बाद बजारी व. कोदु का नाम संशोधन से दर्ज हुआ। केहरसिंह व बोधनसिंह भूमि विक्रय कर राशि प्राप्त कर कब्जा देकर जामुनपानी जिला कवर्धा में निवास करने लगे, जो वापस राम्हेपुर नहीं आए और ना ही उसके वारसानों ने भूमि संबंधी वाद विवाद किया। प्रतिवादीगण का भूमि पर विगत 50 वर्षों से कब्जा एवं राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम चला आ रहा है। वादीगण ने वर्ष 2010 में अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में कुल भूमि 14.40 एकड़ भूमि वापसी संबंधी प्रकरण पेश किया जिसमें खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ एवं खसरा नं. 51/2 रकबा 8.00 एकड़ के राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वामी को पक्षकार बनाया था और उक्त प्रकरण में भूमि खसरा नं. 51/2 रकबा 8.00 एकड़ भूमि के भूमि स्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया गया, जो दिनांक 31.3.2011 को निरस्त कर दिया, जिसकी अपील अपर कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय में पेश की गई जो दिनांक 26.9.2012 को निरस्त कर दी गई। खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि का क्रय विक्रय वर्ष 1958 में ही दिनांक 08 फरवरी को हो गया जो भू.रा.सं. के प्रावधान लागू होने के पूर्व का क्रय

विक्रय है, जिस पर भूरा.सं के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वादीगण का दावा सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

(16)– वादी साक्षी भगोनाबाई (वा.सा. 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-12 में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1, पी-2 में संशोधन पंजी के कॉलम 10 में गलती से अधिकार अभिलेख में, खाते में दर्ज होने से खाता नं. 4 में शामिल किये जाने के कारण का उल्लेख किया है। प्रदर्श पी-3 के कॉलम नं. 10 में केहरसिंह से खसरा नं. 51 में से 6.40 जमा 202 में खरीदन के कारण बयनामा दिनांक 08.2.1958 उल्लेख है। प्रदर्श पी-4 में प्रतिवादीगण का नाम खसरे में दर्ज है। प्रदर्श पी-5 में प्रतिवादीगण के नाम का उल्लेख है। यह भी स्वीकार किया है कि अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में प्रकरण क्र. 2अ-23 वर्ष 2010-11, बिसनलाल व अन्य विरुद्ध रतनसिंह व अन्य के प्रकरण में दिनांक 21.3.2011 को धारा-170ख म.प्र. भू राजस्व संहिता का आवेदन पोषणीय न होने से निरस्त किया था। अनुविभागीय अधिकारी बैहर के आदेश के विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्र. 91/23 वर्ष 2010-11, बिसनलाल व अन्य विरुद्ध रतनलाल व अन्य प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 26.9.2012 को आदेश पारित करते हुए उनकी अपील अमान्य कर दी गई एवं साक्षी धरमलाल (वा.सा. 2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-6 में स्वीकार किया है कि वर्ष 1958 से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को जोत बोकुर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में जमीन वापसी का केस खारिज हो गया, जिसकी अपील कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय में भी खारिज कर दी गई। कंडिका-7 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादीगणों को जानकारी हो गई थी कि रजिस्ट्री के आधार पर प्रतिवादीगणों ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जिन रजिस्ट्रियों को फ़ैल करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(17)– वादी साक्षी चैतराम (वा.सा. 3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका-9 में स्वीकार किया है कि शपथपत्र की कंडिका 02 में जो बातें लिखी हैं, वह गलत लिखी है। कंडिका-10 में साक्षी ने स्वीकारा है कि अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि एवं संशोधन पंजी में दर्ज प्रविष्टि की किसी भी अपीलीय न्यायालय में कोई भी अपील नहीं की गई। इसी प्रकार वादी साक्षी धरमसिंह (वा.सा. 4) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में स्वीकार

किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण काशत करते चले आ रहे हैं। इसके पहले उनके पिता काशत करते थे। राजस्व अभिलेख में पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता का नाम दर्ज था उसके फौत होने के बाद प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है।

(18)– प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर दस्तावेज फरोख्तनामा प्रदर्श डी-3, डी-4 तथा फरोख्तनामा प्रदर्श डी-7 तथा डी-8 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादीगण के पूर्वज केहरसिंह, बोधनसिंह वल्द तालन ने ग्राम रामहेपुर स्थित खसरा नं. 51 रकबा 14.40 में से 6.40 फंदी व. छतरन तथा 8.00 एकड़ बजारी व. कोदू को दिनांक 08.2.1958 को पंजीकृत विक्रयपत्र से बिक्री कर दिया है। जिसके आधार पर प्रदर्श डी-5, डी-6 की भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो चुकी है। जिसके संबंध में प्रतिवादी साक्षी तीरथलाल यादव (प्र.सा. 3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में स्वीकार किया है कि केहरसिंह वादग्रस्त संपत्ति को बेचकर जामुनपानी चला गया था। जिसके पश्चात वादीगण द्वारा दिनांक-25.1.2011 को प्रथमतः आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-170(ख) म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत न्यायालय-अनुविभागीय अधिकारी, बैहर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व प्रकरण क्र. 02अ-23 वर्ष 2010-11, पक्षकार-बिसनलाल व अन्य बनाम रतनसिंह व अन्य को न्यायालय द्वारा दिनांक-31.3.2011 को निरस्त कर दिया गया। जिसके पश्चात वादीगण द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय-अपर कलेक्टर, बालाघाट के न्यायालय में अपील पेश किए जाने पर राजस्व प्रकरण क्र. 91अ/23 वर्ष 2010-11, बिसनलाल बनाम रतनसिंह व अन्य की अपील भी न्यायालय द्वारा दिनांक-26.9.2012 को निरस्त कर दी गई है।

(19)– उपरोक्त साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना से यह तो परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि मौजा रामहेपुर प.ह.नं. 52 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर स्थित खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि पर वर्ष 1954-55 में वादीगण के पूर्वज दादा केहरसिंह का नाम दर्ज रहा। किन्तु रजिस्ट्रीकृत फरोख्तनामा प्रदर्श डी-7, डी-8 तथा रजिस्टर दस्तावेज फरोख्तनामा प्रदर्श डी-3, डी-4 से यह परिलक्षित होता है कि वादीगण के दादा केहरसिंह व उसके भाई बोधनसिंह ने प्रतिवादीगण के पूर्वज फन्दी एवं बजारीलाल को दिनांक-08.2.1958 को फरोख्तनामा निष्पादित कर प्रतिवादीगण को विक्रय की गई है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त 2000(1)एम.पी.एल.जे.(102) एवं रेखा बनाम श्रीमति रेनाश्री

2006(1)एम.पी.एल.जे.(103) अवलोकनीय है। किन्तु वादी फरोख्तनामा का प्रभावशून्य एवं अवैध तथा कूटरचित पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है। इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादीगण ने फरोख्तनामा अवैध एवं कूटरचित निष्पादित कराया है, जिसका प्रभाव शून्य है। तदनुसार विचारणीय बिंदु क्रमांक-1, 2 एवं 3 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिंदु क. 4, 6 :-

(20)- विचारणीय बिन्दू क्रमांक-1, 2, 3 के निष्कर्ष एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर दस्तावेज फरोख्तनामा प्रदर्श डी-3, डी-4 तथा फरोख्तनामा प्रदर्श डी-7 तथा डी-8 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादीगण के पूर्वज केहरसिंह, बोधनसिंह वल्द तालन द्वारा ग्राम रामहेपुर स्थित खसरा नं. 51 रकबा 14.40 में से 6.40 फंदी व. छतरन तथा 8.00 एकड़ बजारी व. कोदू को दिनांक 08.2.1958 को पंजीकृत विक्रयपत्र से बिक्री कर दिया है। जिसके पश्चात वादीगण द्वारा दिनांक-25.11.2011 को आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-170(ख) म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत न्यायालय-अनुविभागीय अधिकारी, बैहर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व प्रकरण क. 02अ-23 वर्ष 2010-11, पक्षकार-बिसनलाल व अन्य बनाम रतनसिंह व अन्य को न्यायालय द्वारा दिनांक-31.3.2011 को निरस्त कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि दिनांक 08.2.1958 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय की गई है। प्रतिवादीगण जब वादग्रस्त भूमि कय की गई तब म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 प्रभावशील नहीं थी, ऐसी स्थिति में धारा-165 के उपबंध भूतलक्षी नहीं है। जिससे म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रभावशील होने के पहले किये गये विक्रय का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(21)- वादीगण द्वारा वादग्रस्त के कब्जा भूमि के संबंध में न्यायालय- अनुविभागीय अधिकारी, बैहर के न्यायालय में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-170(ख) म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत राजस्व प्रकरण क. 02अ-23 वर्ष 2010-11, पक्षकार- बिसनलाल व अन्य बनाम रतनसिंह व अन्य में तथा न्यायालय-अपर कलेक्टर, बालाघाट के न्यायालय में अपील राजस्व प्रकरण क. 91अ/23 वर्ष 2010-11, बिसनलाल बनाम रतनसिंह व अन्य में संयोजित अनावेदक/उत्तरवादीगणों को इस प्रकरण में भी प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित

नहीं किया गया है।

(22)– उपरोक्त साक्ष्य एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विवेचना से वादीगण को फरोख्तनामा निष्पादित दिनांक 08.2.1958 का प्रभावशून्य घोषित कराने की अवधि बाह्य वाद प्रस्तुत किया है एवं वाद में आवश्यक पक्षकारों की जानकारी होने के बाद भी शेष प्रतिवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। तदनुसार विचारणीय बिंदु क्रमांक-4 एवं 6 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

सहायता एवं व्यय :-

(23)– विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1, 2 तथा 3 के निष्कर्ष एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत के दस्तावेजों के अवलोकन से मौजा रामहेपुर प.ह.नं. 52 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर स्थित खसरा नं. 51/1 रकबा 6.40 एकड़ भूमि पर वादीगण को स्वत्व प्राप्त है, विक्रयपत्र दिनांक 8.2.1958 वादीगण शून्य घोषित कराने के हकदार है एवं वादीगण विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क्र. 1 से 7 से पाने के हकदार है, यह सिद्ध करने में वादीगण असफल रहे हैं।

(24)– परिणामस्वरूप वादीगण का वाद निरस्त कर निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

- 01– वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।
- 02– उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 03– अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या नियमानुसार जो भी कम हो देय हो।
तदनुसार जय-पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(डी.एस.मण्डलोई)

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)